

न्यायालय : कु. मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

कमांक / 1280 / 2025

जिला गुना, दिनांक 22.08.2025

- :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह सितम्बर+अक्टूबर 2025:: -

माह **सितम्बर+अक्टूबर 2025** के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोन, राघौगढ, चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमांड ड्यूटी नियत की जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को **दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे** के मध्य रिमांड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

- :: जिला न्यायिक स्थापना-गुना :: -

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह सितम्बर 2025	माह अक्टूबर 2025
1	श्री डालचंद	28-09-2025 30-09-2025	01-10-2025
2	श्री सुरेश बारगीया	14-09-2025 20-09-2025	12-10-2025
3	श्री चेतन बजाड़	05-09-2025 06-09-2025 07-09-2025	-
4	श्री राजकुमार तोरनिया	-	18-10-2025 19-10-2025 20-10-2025
5	श्रीमती श्रुति चौहान	-	21-10-2025 22-10-2025 23-10-2025
6	श्री यश दुबे	21-09-2025	02-10-2025 03-10-2025
7	सुश्री आयुषी मित्तल	-	04-10-2025 05-10-2025 26-10-2025

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—आरोन ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह सितम्बर 2025	माह अक्टूबर 2025
1	श्री बुदे सिंह सोलंकी	05-09-2025 06-09-2025 07-09-2025 14-09-2025 20-09-2025 21-09-2025 28-09-2025 30-09-2025	01-10-2025 02-10-2025 03-10-2025 04-10-2025 05-10-2025 12-10-2025 18-10-2025 19-10-2025 20-10-2025 21-10-2025 22-10-2025 23-10-2025 26-10-2025

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—राघौगढ़ ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह सितम्बर 2025	माह अक्टूबर 2025
1	श्री संजीव पिपलादिया	30-09-2025	01-10-2025 02-10-2025 03-10-2025 04-10-2025 05-10-2025 12-10-2025
2	श्री आशीष शर्मा	28-09-2025	18-10-2025 19-10-2025 20-10-2025 21-10-2025 22-10-2025 26-10-2025
3	श्री रवि तंवर	05-09-2025 06-09-2025 07-09-2025 14-09-2025 20-09-2025 21-09-2025	23-10-2025

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—चांचौड़ा ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह सितम्बर 2025	माह अक्टूबर 2025
1	सुश्री प्रियम सेन	05-09-2025 06-09-2025 07-09-2025 28-09-2025 30-09-2025	01-10-2025 02-10-2025 03-10-2025 04-10-2025 05-10-2025
2	श्रीमती डिम्पल कश्यप	14-09-2025 20-09-2025 21-09-2025	12-10-2025 18-10-2025 19-10-2025 20-10-2025 21-10-2025 22-10-2025 23-10-2025 26-10-2025

सामान्य नोट—

- 1— माह सितम्बर+अक्टूबर 2025 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में गुना, चांचौड़ा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन **माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2025** क्रमशः श्री सुरेश बारगीया/श्री रवि तंवर/श्रीमती प्रियम सेन द्वारा किया जावेगा।
- 2— आरोन स्थापना पर पदस्थ मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
- 3— उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।
- 4— सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 5— सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से

अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।

6- समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमाण्ड ड्यूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमाण्ड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

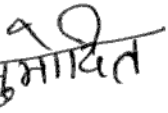

(कृ. मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

पृ.क.: - 1 / 2025

गुना, दिनांक 22.08.2025

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।
- 7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।


अनुमोदित


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)


(कृ. मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)